



UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"प्रकीर्ण वर्ग"

लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-<http://pwd.uk.gov.in>



E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक :- 408/10 अधि प्राप्ति - प्रकीर्ण / 2018

दिनांक 12-05-2018

::: कार्यालय ज्ञाप :::

लोक निर्माण विभाग के केंद्रीकृत शेड्यूल ऑफ रेट्स के पुनर्निर्धारण हेतु दिनांक 07-05-2018 को आयोजित SOR समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु केंद्रीकृत शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी किये जा रहे हैं। SOR में ली गयी समस्त दरें Excluding of GST है तथा अन्य समस्त कर, उपकर, लेवी फी, टोल, रायल्टी आदि दरों में पूर्व की भांति सम्मिलित है।

यह दरें दिनांक 01-05-2018 से लागू मानी जाएंगी।

SOR PWD की website <http://pwsor.pwd.uk.in> पर उपलब्ध है।

सेतु कार्यों के लिए SOR की मदों की दरों (Item Rate) में पूर्व की भांति निम्नानुसार अतिरिक्त Overhead Charges देय होंगे -

- For Major Bridges including State of Art Bridges & Minor Bridges = 15%
- For Minor Bridges included in the Road Package = 10%
- For Rehabilitation of Bridges = 20%

12.5.18 (आर0 सी0 पुराहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लो. नि. वि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
14. प्रबन्धक निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0/यां0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम/द्वितीय एवं समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
17. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
19. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

1.7

12/5/18

(देवेन्द्र शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

12/5/18
12/5
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।